

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।

पत्रांक 297 / वाद संख्या आर-0552 / 2026

दिनांक 11/6/2026

थानाध्यक्ष,
मसूरी।

विपक्षी श्रीमती कल्पना शर्मा/भूस्वामी, मसूरी देहरादून मोटर मार्ग कोल्हूखेत के नीचे मसूरी द्वारा उक्त स्थल में अनाधिकृत रूप से निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये वाद संख्या आर-0552/2026 योजित किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16/06/26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः उपरोक्त नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे तथा साथ ही स्थल पर निर्माण कार्य ध्वस्तीकरण होने के पश्चात आगे न हो पाये, इस हेतु अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करे।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।

प्रतिलिपि:-

- 1-नायब तहसीलदार मसूरी को उपरोक्तानुसार ध्वस्तीकरण कार्य शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु।
- 2-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सुपरवाइजरस म0दे0वि0प्रा0 मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थल पर किये गये अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- श्री सुनील राणा (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर), आई0टी0 अनुभाग को सचिव महोदय द्वारा दिये गये आदेश सं0 817/स्था0-का0आ0/2022 दिनांक 13.01.2023 के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- श्रीमती कल्पना शर्मा/भूस्वामी, मसूरी देहरादून मोटर मार्ग कोल्हूखेत के नीचे मसूरी को इस निर्देश के साथ की उपरोक्तानुसार नियत तिथि को स्थल पर स्वयं मौजूद रहें एवं अपना आवश्यक सामान हटा लें, शेष नियम एवं शर्तें प्राधिकरण के पूर्व प्रेषित ध्वस्तीकरण आदेश सं0 156 दिनांक 14-05-2026 के अनुसार यथावत रहेंगी।



संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।